न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 825/2022

दायर दिनांक :– 16.11.2022

अनवान

सुन्दर पुत्री किशना रेगर नि. अडीमल जी का खेडा तह. जहाजपुर हाल पत्नि मांगीलाल रेगर नि. श्यामपुरा तह. माण्डलगढ

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री ताराचन्द रेगर, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 30.01.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा, पटवार हल्का टीटोड़ा भू. अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र खजूरी तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा की आराजी खसरा संख्या 226, 245, 246/1, 250, 251, 252, 253, 289/5 कुल किता 8 रकबा 1.2852 हैक्टयर भूमि भूली पुत्री किशना रेगर के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/20 हक व हिस्सा सहखातेदार में दर्ज है। ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा पटवार हल्का टीटोड़ा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खजूरी तहसील – जहाजपुर की आराजी खसरा संख्या 249 कुल किता 1 रकबा 0.0432 हैक्टयर भूमि में भूली पुत्री किशना रेगर के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/22 हक व हिस्सा सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया का सहीं नाम सुन्दर पुत्री किशना रेगर है, जो कि प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, एवं राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी आराजी नं. 544/1 के रिकार्ड में मैं सुन्दर पुत्री किशना रेगर ही दर्ज है। राजस्व अधिकारियों ने विरासत से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि का नामान्तरण खोलते समय भूलवस प्रार्थीया का बोलता नाम भूली पुत्री किशना रेगर दर्ज कर दिया गया। जिससे प्रार्थीया को भारी परेशानी हो रहीं है, इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर सुन्दर पुत्री किशना रेगर दर्ज करवाना चाहती है। मुझ प्रार्थीया ने दिनांक 14.11.2022 को के.सी.सी. हेतु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि की चालू जमाबन्दी प्राप्त की तब उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने से प्रार्थीया का वाद हेतु उत्पन्न होकर दिनांक 14.11.2022 से निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा पटवार हल्का टीटोड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खजूरी तहसील जहाजपुर,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

जिला भीलवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 226, 245, 246/1, 250, 251, 252, 253, 289/5 में भूली पुत्री किशना रेगर का नाम विलोपित कर इस के स्थान पर सुन्दर पुत्री किशना रेगर का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी ग्राम अड़ीमल जी का खेड़ा पटवार हल्का टीटोड़ा भू अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र खजूरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 249 में भूली पुत्री किशना रेगर का नाम विलोपित कर इस के स्थान पर सुन्दर पुत्री किशना रेगर का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 12.01.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि ग्राम अडीमल जी का खेडा की आ.न. 226, 245, 246/1, 250, 251, 252, 253, 289/5 कुल किता 08 रकबा 1.2852 हैक्टेयर भूमि भूली पुत्री किशना रेगर 1/20 राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार में दर्ज है। ग्राम अडीमल जी का खेड़ा की आराजी संख्या 249 किता 1 रकबा 00432 हैक्टेयर भूमि मे भूली पुत्री किशना रेगर हिस्सा 1/22 राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मे संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी ग्राम अडीमल जी का खेड़ा के खसरा नम्बर 543/1, 544/1 किता 2 रकबा 1.2420 हैक्टयर भूमि मे सुन्दर पुत्री किशना रेगर हिस्सा 1/5 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त समस्त दस्तावेजों मे सुन्दर दर्ज है। प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी हेतु ग्राम अडीमल जी का खेड़ा मे दिनांक 27.12.2022 को जानकारी की गई तो उपस्थित गौतविरान ने बताया कि किशना पिता देबी रेगर के दो पुत्रिया सुन्दर व भूरी ही थी चरण संख्या 1 व 2 मे दर्ज भूमि में भूली दर्ज है जो इस नाम की अन्य पुत्री नहीं बताई गई भूली व सुन्दर एक ही होना बताया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम भूली पुत्री किशना रेगर के बजाय सुन्दर पुत्री किशना रेगर नाम में शुद्धि कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी का नाम भूली पुत्री किशना रेगर के बजाय सुन्दर पुत्री किशना रेगर दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अडीमल जी का खेडा प. ह. टीटोडा में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 में स्थित खाता संख्या 66 की आ.न. 226, 245, 246/1, 250, 251, 252, 253, 289/5 कुल किता 08 रकबा 1.2852 हैक्टेयर तथा ग्राम अडीमल जी का खेडा प. ह. टीटोडा में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 मे स्थित खाता संख्या 67 की आ.न. 249 कुल किता 01 रकबा 0.0432 हैक्टेयर में खातेदार भूली पुत्री किशना रेगर के बजाय सुन्दर पुत्री किशना रेगर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 825 / 2022 दिनांक 30.01.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– मु.न. 825 / 2022 अनवान सुन्दर पुत्री किशना रेगर नि. अडीमल जी का खेडा तह. जहाजपुर हाल पत्नि मांगीलाल रेगर नि. श्यामपुरा तह. माण्डलगढ में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम अडीमल जी का खेडा प. ह. टीटोडा में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 में स्थित खाता संख्या 66 की आ.न. 226, 245, 246 / 1, 250, 251, 252, 253, 289 / 5 कुल किता 08 रकबा 1.2852 हैक्टेयर तथा ग्राम अडीमल जी का खेडा प. ह. टीटोडा में स्थित कृषि भूमि संवत 2076–2079 में स्थित खाता संख्या 67 की आ.न. 249 कुल किता 01 रकबा 0.0432 हैक्टेयर में खातेदार भूली पुत्री किशना रेगर के बजाय सुन्दर पुत्री किशना रेगर दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner